Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारतीय न्याय पालिका में साक्षी की सुरक्षा

ऋचा अग्रवाल*

* शोधार्थी, रवीन्द्रनाथ टागोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – 'बेंथम' के शब्दों में द साक्षी न्याय के आँख ओर कान होते है। भारतीय न्याय व्यवस्था में साक्षियों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत में न्यायिक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को दंडित करना और न्याय को स्थापित करना है। इस प्रक्रिया में साक्षियों का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है ,क्योंकि वे घटना के संबंध में अपने अनुभव और जानकारी प्रदान करते हैं, जो न्याय की प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में सहायक होती है। न्यायालयों में गवाही देने वाले व्यक्तियों को विभिन्न रूपों में खतरे का सामना करना पड़ सकता है द्यभारत में कई बार न्यायालयों में साक्षी अपनी गवाही से मुकर जाते हैं और 'शत्रुतापूर्ण' हो जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण –यह है कि साक्षियों को धमकियाँ दी जाती हैं या उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है जिससे वे गवाही देने से मुकर जाते हैं। इसके अलावा अपराधियों के साथ उनके रिश्ते भय और दबाव भी एक महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। कई बार साक्षियों को न्यायालय की प्रक्रिया और इसके परिणामों का डर होता है और वे अपने बयान बदलने का निर्णय लेते हैं। इसके अतिरिक्त साक्षियों को अपर्याप्त सुरक्षा और कानूनी सहायता का अभाव भी एक बड़ा कारण हैद्य भारतीय न्याय प्रणाली में साक्षियों का विद्रोही होना एक गंभीर समस्या बन गई है, जिसे हल करने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। यह लेख भारतीय न्याय पालिका में साक्षी की सुरक्षा के महत्व विभिन्न सुरक्षा उपायों और कानूनी द्रष्टिकोण को विस्तार से बताता है। इसके साथ ही यह भी संकेत करता है कि साक्षी की सुरक्षा को लेकर न्यायालयों में और अधिक सुधार की आवश्यकता है ताकि न्याय प्रणाली में विश्वास बना रहे और अपराधों को रोकने में सफलता प्राप्त हो सके।

शब्द कुंजी– साक्षी , साक्षी संरक्षण स्कीम ,अपराध, आपराधिक न्याय प्रणाली।

प्रस्तावना

साक्षी कौन है?

किसी अपराध को अंजाम देना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई परस्पर जुड़ी घटनाएं शामिल होती हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली का एक प्राथमिक लक्ष्य अपराधी पकड़ना और दंडित करना है। जिसे गहन और व्यवस्थित जांच के ढांचे के बाद ही पूरा किया जा सकता है।अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक गतिविधियों की श्रृंखला की पहचान करना ,व्यवस्थित साक्ष्य एकत्र करना और जांच प्रक्रिया के लिए प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुकदमे के दौरान आपराधिक जिम्मेदारी से बचने के लिए बचाव पक्ष लगभग हमेशा इसकी सत्यता को चुनौती देने का प्रयास करेगा और वाद के दौरान आपराधिक दायित्व से बचने के लिए इसकी सत्यता को अस्वीकार करेगा ।

भारतीय न्याय प्रणाली मे 'साक्षी' की परिभाषा नहीं है। 'साक्षी'वह व्यक्ति होता है जो किसी घटना अपराध या कानूनी मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। साक्षी की भूमिका न्यायिक प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह अपने देखे सुने या अनुभव किए हुए तथ्यों को अदालत में प्रस्तुत करता है। साक्षियों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश या न्यायालय यह निर्णय ले सकते हैं कि आरोपी दोषी है या निर्दोष।

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार: साक्षी वह व्यक्ति है जिसने कोई घटना देखी या अनुभव की हो, विशेषकर अपराध या दुर्घटना, और जो इस संबंध में साक्ष्य देने के लिए सक्षम हो।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार: साक्षी वह व्यक्ति है जो किसी तथ्य की गवाही देने के लिए समन्वित होता है या जो किसी घटना के संबंध में अपने ज्ञान की पुष्टि करने के लिए साक्ष्य प्रदान करता है। यह वह व्यक्ति हो सकता है जिसने घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा हो या जिसने किसी विशेष मामले के संबंध में जानकारी प्रदान की हो।

'साक्षी' वह व्यक्ति होता है जो किसी घटना अपराध या कानूनी मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। साक्षी की भूमिका न्यायिक प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह अपने देखे सुने या अनुभव किए हुए तथ्यों को अदालत में प्रस्तुत करता है। साक्षियों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश या न्यायालय यह निर्णय ले सकते हैं कि आरोपी दोषी है या निर्दोष।साक्षी के प्रकार–

1. प्राकृतिक साक्षी (eye witness)
2. आंशिक साक्षी (corroborative witness)
3. विशेषज्ञ साक्षी (expert witness)
4. चरित्र साक्षी (character witness)

न्यायशास्त्र में साक्षी की भूमिका:

1. सत्यापन का साधन : साक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य घटनाओं के पुनर्निर्माण और सत्यापन में सहायक होते हैं।

2. न्यायिक प्रक्रिया में सहायता: साक्षी की गवाही न्यायिक प्रक्रिया को गति प्रदान करती है और तथ्यों को स्पष्ट करने में मदद करती है।

3. विश्वसनीयता का परीक्षण: साक्षी की विश्वसनीयता का परीक्षण उनकी गवाही की सटीकता और उनके चरित्र के आधार पर किया जाता है।

4. साक्षियों की साक्ष्य के बिना, न्यायिक प्रक्रिया अपूर्ण हो सकती है और अपराधियों को सजा दिलाने में कठिनाई हो सकती है।

उद्देश्य:

1. क्या भारतीय न्यायपालिका में साक्षी संरक्षण का तंत्र प्रभावी है? मौजूदा कानून कितना प्रभावी हैं और कहां सुधार की आवश्यकता है? तथा इसके उपाये ।

2. वर्तमान विधायी प्रावधानों का अध्ययन करना ,ताकि भविष्य में संभावित विकास हो सके ।

शोध पद्धति – वर्तमान कानूनी ढांचे मे 'साक्षी की सुरक्षा' एक मुख्य समस्या है ओर साक्षी सुरक्षा तंत्र इस समस्या को पूरी तरह खतम करने मे अपर्याप्त है । साक्षी को उचित सुरक्षा न मिलने से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और न्यायिक निर्णयों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

शोध विश्लेषण – यह अनुसंधान विधि गुणात्मक और रचनात्मक होगी। इसका उद्देश्य मौजूदा साक्षी सुरक्षा तंत्र की संरचना, कार्यान्वयन और समस्याओं का गहराई से अध्ययन करना है।

1. सर्वेक्षण और साक्षात्कार: न्यायधीशों, वकीलों, और कानून प्रवर्तन अधिकारियों से साक्षात्कार और सर्वेक्षण किए जाएंगे। इसके माध्यम से साक्षियों की सुरक्षा से संबंधित अनुभवों, चिंताओं और सुधार के सुझावों को एकत्र किया जाएगा।

2. द्वितीयक डेटा विश्लेषण: रिपोर्ट, न्यायालय के फैसले, और सरकारी दस्तावेजों का अध्ययन किया जाएगा ताकि साक्षी संरक्षण के प्रभाव का विश्लेषण किया जा सके।

3. साक्षात्कार और केस स्टडी: साक्षियों के मामलों की समीक्षा और साक्षात्कार किए जाएंगे, जिससे साक्षी सुरक्षा तंत्र की वास्तविक कार्यप्रणाली का आकलन किया जा सके।

4. स्रोत और डेटा संग्रहण:

- **प्राथमिक स्रोत:** न्यायालयों में साक्षियों के मामलों का विश्लेषण, सरकारी रिपोर्टें, साक्षियों के साक्षात्कार, और संबंधित अधिकारियों से डेटा एकत्रित किया जाएगा।
- **द्वितीयक स्रोत:** न्यायालय के फैसले, शैक्षिक लेख, सरकारी दस्तावेज और मीडिया रिपोर्टें।
- **डेटा विश्लेषण:** एकत्रित डेटा को विश्लेषणात्मक और संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाएगा। इसका उद्देश्य साक्षी सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता को समझना और उसकी कमियों की पहचान करना होगा। डेटा का विश्लेषण विषयगत तरीके से किया जाएगा, जिसमें साक्षी सुरक्षा की विभिन्न चुनौतियों पर जोर दिया जाएगा।

साक्षी की योग्यता – साक्षी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो न्यायलाय को साक्ष्य देता है या जरूरत पढ़ने पर दे सकता है । सभी अन्य न्यायिक और अर्ध–न्यायिक अदालतें और फोरम साक्षियों के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त करते हैं।साक्षी को साक्ष्य के माध्यम के रूप में विचार करते समय,तीन महत्वपूर्ण विचार उठते हैंरू भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 के अनुसार जो भी व्यक्ति पूछे गए प्रश्न को समझने में सक्षम है और उन प्रश्नों के आधार पर तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है।

- साक्षियों की योग्यता और योग्यता,
- अदालत में साक्षियों की उपस्थिति और गवाही सुनिश्चित करने का दायित्वय और
- गवाही की अयोग्यता का आधार,

तथ्यों को साबित करने के लिए साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। एक साक्षी की योग्यता और एक साक्षी की अनिवार्यता में अंतर है । एक विधिक रूप से सक्षम साक्षी अवश्य प्रमाण ?साक्ष्य देता है द्यभारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 124 साक्षियों की योग्यता से संबंधित है। धारा 124 –कौन गवाही दे सकता है? सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे, जब तक कि न्यायालय यह न समझे कि कम उम्र, अत्यधिक बुढ़ापे, शारीरिक या मानसिक रोग, या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे पूछे गए प्रश्नों को समझने में या उन प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने में असमर्थ हैं।

स्पष्टीकरण–विकृत चित्त वाला व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अयोग्य नहीं है, जब तक कि वह अपनी विकृत चित्तावस्था के कारण उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने और उनका युक्तिसंगत उत्तर देने में निवारित न हो।

विरोधी ?पक्ष द्रोही साक्षी (hostile witness) और इसका साक्ष्य मूल्य–

भारतीय न्याय व्यवस्था में 'पक्षद्रोही ? विरोधी गवाह' (hostile witness) का मतलब उस साक्षी से है, जो न्यायालय में दिए गए अपने पूर्व बयान से मुकर जाता है

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2024 की धारा 157 में विरोधी साक्षी के विषय में स्पष्ट प्रावधान हैं। यह धारा अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष को यह अधिकार देती है कि वे किसी साक्षी को यदि वह अपने बयान से मुकरता है या उसमें किसी तरह का बदलाव करता है, तो उसे विरोधी साक्षी घोषित कर सकते हैं। इसके बाद, वकील उस साक्षी से क्रॉस–एक्सामिनेशन (विपरीत परीक्षण) कर सकता है, जिसका उद्देश्य साक्षी की साक्ष्य की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाना और गवाही के अंतर्निहित सत्य को उजागर करना होता है। धारा 157 के मुताबिक, किसी साक्षी के पूर्व बयान को उसी तथ्य से जुड़ी बाद की गवाही की पुष्टि के लिए साबित किया जा सकता है. इसके लिए, साक्षी द्वारा उसी तथ्य से जुड़ा कोई पूर्व कथन साबित किया जा सकता है–

- जब वह तथ्य घटित हुआ था
- उस तथ्य की जांच करने के लिए विधिक रूप से सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष दिया गया कोई पूर्व कथन

1. राजा राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य –इस निर्णय में यह कहा गया कि यदि साक्षी अपने बयान से पलटता है, तो पुलिस रिकॉर्ड पर दर्ज बयान का मूल्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते वह बयान विश्वसनीय हो।

2. अकबर बनाम कर्नाटका राज्य–न्यायालय ने यह माना कि साक्षी के पहले के बयान को उसकी गवाही से मुकरने के बावजूद साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते वह बयान अन्य साक्ष्यों से मेल खाता हो और विश्वसनीय हो।

3.बसप्पा / बसवराज बनाम कर्नाटका राज्य – यह निर्णय दर्शाता है कि यदि साक्षी अदालत में अपने बयान से पलटता है, तो उसके पहले के बयान को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते वह बयान

प्रमाणित हो और न्यायिक दृष्टिकोण से उचित हो।

साक्षी –संरक्षण कानून की आवश्यकता क्यों है?

- साक्षियों का भय और दबाव– यह साक्षियों के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का खतरा पैदा कर सकता है। इस कारण से साक्षी सुरक्षा की आवश्यकता है ताकि वे बिना किसी डर के अपने बयान दे सकें।
- साक्षियों की सुरक्षा से यह सुनिश्चित होता है कि वे अदालत में सही और निष्पक्ष गवाही देने के लिए स्वतंत्र हों।
- ताकि अपराधों की रोकथाम हो सके और अपराधियों के खिलाफ सजा दी जा सके ।
- साक्षियों का विश्वास और न्याय व्यवस्था पर विश्वास: अगर साक्षियों को यह विश्वास होता है कि उनकी सुरक्षा की जाएगी, तो वे न्याय व्यवस्था में विश्वास बनाए ,जिससे न्यायिक प्रक्रिया की पूरी विश्वसनीयता बनी रहती है।
- राज्य की जिम्मेदारी: राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। साक्षी सुरक्षा कानून राज्य के दायित्व को पूरा करने में मदद करता है, विशेष रूप से उन साक्षियों के लिए जो अत्यधिक जोखिम में होते हैं। यह कानून न केवल साक्षियों की व्यक्तिगत सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि न्यायिक प्रणाली के संचालन को भी संरक्षित करता है।

साक्षी सुरक्षा पर विभिन्न विधि आयोग की रिपोर्टें

1. भारत सरकार का 14वां विधि आयोग

- साक्षियों की पहचान और स्थान को गोपनीय रखा जाना चाहिए।
- साक्षियों को शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस सुरक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए।
- साक्षियों को कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे न्यायिक प्रक्रिया में अपने अधिकारों को समझ सकें और उनका उल्लंघन न हो।
- साक्षियों की सुरक्षा से संबंधित एक विस्तृत कानून को लागू करने की सिफारिश की गई।

2. 22वें विधि आयोग का रिपोर्ट

- साक्षियों को मानसिक, शारीरिक और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, ताकि वे सुरक्षित महसूस करें और बिना किसी भय के गवाही दे सकें।
- न्यायालयों को साक्षियों के लिए संरक्षण प्रदान करने के लिए ठोस उपाय लागू करने चाहिए, जैसे कि साक्षियों की पहचान को गोपनीय रखना और उनका स्थान बदलना।

3. विधि आयोग की 198वीं रिपोर्ट के तहत साक्षी सुरक्षा

- विशेष साक्षी सुरक्षा प्राधिकरण का गठन: यह प्राधिकरण साक्षियों की सुरक्षा, पुनर्वास और वित्तीय सहायता को सुनिश्चित करेगा।
- साक्षियों को सुरक्षा उपायों का विकल्प देना: साक्षियों को यह विकल्प दिया जाए कि वे अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस सुरक्षा या अन्य सुरक्षा उपायों का चयन कर सकें।
- मानसिक और शारीरिक समर्थन
- विकसित कानून और प्रोटोकॉल का निर्माण
- साक्षियों को विशेष सुरक्षा देने के उपाय जैसे कि: साक्षियों के परिवर्तित नाम से गवाही देने की व्यवस्था,गवाही देने के दौरान पहचान छुपाने की अनुमति देना, विशेष पुलिस सुरक्षा प्रदान करना।

4. मालिमथ समिति :मालिमथ समिति (Malimath Committee) का गठन 2000 में भारत सरकार द्वारा किया गया

- साक्षियों को अपराधियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ठोस कानून की आवश्यकता जताई गई।ताकि वे अपने बयान देने से डरें नहीं।
- आपराधिक मामलों की सुनवाई को त्वरित और निष्पक्ष तरीके से पूरा किया जाए। इसके लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाए द्य साक्ष्य और गवाही की प्रक्रिया में सुधार, आपराधिक न्याय प्रणाली में पारदर्शिता ला सकें।
- पुलिस को आधुनिक तकनीकों और प्रशिक्षण से सुसज्जित किया जाए ।
- प्राथमिकता वाले मामलों की पहचान और सुनवाई तथा संवेदनशील मामलों में विशेष अदालतों का गठन।
- साक्षियों और पीड़ितों के लिए कानून।

भारत मे साक्षी सुरक्षा कानून

साक्षी को झूठी गवाही देने के लिए प्रेरित करने या प्रभावित करने का प्रयास: आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 195। के तहत, यदि कोई व्यक्ति साक्षी को झूठी गवाही देने के लिए प्रेरित करता है या प्रभावित करता है, तो उसे सात साल की सजा हो सकती है। यह संशोधन सही दिशा में पहला कदम है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 148 के साथ धारा 149 से 152 को मिलाकर पढ़ने पर, साक्षी को अनुचित जिरह से बचाने की व्यवस्था की गई है, जो अक्सर आवश्यक होती है।

साक्षी सुरक्षा स्कीम के पीछे का दर्शनशास्त्र –

BNSS ने विधिवत रूप से साक्षी संरक्षण योजना (विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम) की शुरुआत की है। यह योजना हाल ही में उच्च न्यायालयों/सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप है। BNSS की धारा 398 के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार को साक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साक्षी संरक्षण योजना तैयार करनी और अधिसूचित करनी होगी। यह प्रावधान आपराधिक प्रक्रिया ढांचे में एक नई पहल है।

2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र चौला मामले (Mahender Chawla v Union of India), में यह योजना विधिक घोषित की, 2018 की योजना ने साक्षियों की सुरक्षा के लिए एक समग्र कानूनी और संस्थागत ढांचे को स्थापित करने का विस्तृत दृष्टिकोण अपनाया। इसमें साक्षियों के जोखिम/असुरक्षा स्तर की श्रेणीकरण, साक्षी संरक्षण की प्रक्रियाएं, साक्षियों को आवश्यक सुरक्षा स्तर का आकलन करने के लिए पुलिस द्वारा धमकी विश्लेषण रिपोर्ट का परिचय, और इसकी कार्यप्रणाली को लागू करने और निगरानी करने के लिए पुलिस अधिकारियों और सत्रधजिला अदालत के न्यायाधीशों की एक समिति का गठन शामिल था।

2019 में, गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 14 जनवरी, 2019 को सं. 24013/35/2016 – सीएसआर.III के माध्यम से साक्षी संरक्षण योजना के संबंध में निर्देश जारी किए। MHA ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 2018 की साक्षी संरक्षण योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया और कहा कि यह संविधान के Article 141/142 के तहत 'कानून' होगी।

साक्षी संरक्षण स्कीम ,2018–

1. योजना के तहत संरक्षण आदेश के लिए आवेदन, उचित प्रपत्र और

सहायक दस्तावेजों के साथ उस जिले की सक्षम प्राधिकरण के सदस्य सचिव के माध्यम से किया जा सकता है जहाँ अपराध हुआ था।

2. जब सक्षम प्राधिकरण का सदस्य सचिव निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करता है, तो वह संबंधित पुलिस उप-विभाग के प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त (SP)उप पुलिस अधीक्षक (DSP) को एक धमकी विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी करेगा।

3. स्थिति की तात्कालिकता के आधार पर, संभावित खतरे के कारण, आवेदन के दौरान साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों के लिए अंतरिम सुरक्षा आदेश जारी कर सकता है।

4. धमकी विश्लेषण रिपोर्ट को जल्दी और गोपनीय रूप से पूरा करना चाहिए और आदेश प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर सक्षम प्राधिकरण को सौंपना चाहिए।

5. धमकी विश्लेषण रिपोर्ट में खतरे की धारणा का वर्गीकरण किया जाएगा और यह सलाह देगा कि साक्षी या उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन से कदम उठाए जाएं।

6. साक्षी संरक्षण के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान, सक्षम प्राधिकरण साक्षी और उसके परिवार के सदस्यों, नियोक्ताओं या अन्य किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से और यदि संभव न हो तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संवाद करेगा, ताकि साक्षी की सुरक्षा आवश्यकताओं का निर्धारण किया जा सके। सक्षम प्राधिकरण साक्षी संरक्षण आवेदनों पर सभी सुनवाई गुप्त रूप से करेगा और पूरी गोपनीयता बनाए रखेगा।

7. पुलिस अधिकारियों द्वारा धमकी विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर आवेदन का निपटारा करना होगा।

8. राज्य की साक्षी संरक्षण इकाई या परीक्षण अदालत, जैसा भी मामला हो, सक्षम प्राधिकरण के साक्षी संरक्षण आदेश को लागू करेगी।

9. साक्षी संरक्षण आदेश जारी होने के बाद, साक्षी संरक्षण सेल को सक्षम प्राधिकरण को मासिक फॉलो-अप रिपोर्ट प्रदान करनी होती है। साक्षियों को ष्साक्षी संरक्षण योजनाष और इसकी मुख्य विशेषताओं की जानकारी जांच अधिकारी और अदालत द्वारा दी जानी चाहिए।

10. यदि सक्षम प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि साक्षी संरक्षण आदेश को संशोधित करने की आवश्यकता है तो परीक्षण समाप्त होने के बाद संबंधित पुलिस उप-विभाग के प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी)उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) से नई धमकी विश्लेषण रिपोर्ट का अनुरोध किया जाएगा।

11. 'व्यय वसूली' और समीक्षा' का भी प्रावधान है ।

साक्षी संरक्षण योजना ,2018 में कमियाँ-साक्षी संरक्षण योजना, 2018 में कई खामियां हैं, जिन्हें यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- साक्षी की गरिमा की रक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है और यह साक्षी को सहायता प्रदान करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करने के बारे में मालीमथ समिति द्वारा की गई सिफारिश पर मौन है।
- योजना में अदालत कक्ष में साक्षियों की सुविधा के लिए उचित व्यवस्था जैसे सीटें, आराम करने की जगह, शौचालय, पीने का पानी आदि का उल्लेख नहीं है।
- योजना में यात्रा भत्ता (TA) या दैनिक भत्ता (DA) का प्रावधान नहीं है।
- योजना में मामले की सुनवाई स्थगित होने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई है।
- योजना में साक्षियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

साक्षी संरक्षण योजना, 2018 के अनुसार, 'साक्षी संरक्षण कार्यक्रमों' का खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा, जो कि 198वें विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि 'साक्षी संरक्षण कार्यक्रमों' की लागत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से साझा की जानी चाहिए।

- पुलिस द्वारा तैयार की गई खतरे के विश्लेषण की रिपोर्ट में, प्रभावशाली लोगों के साथ मिलीभगत की संभावना अधिक है।

निष्कर्ष - यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून का शासन सुरक्षित रहे, साक्षियों को बिना किसी डर या धमकी के अदालत में गवाही देने या जांच में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए। देश धीरे-धीरे ऐसे कानून बना रहे हैं या ऐसे उपाय लागू कर रहे हैं जो उन साक्षियों की सुरक्षा करते हैं जिनका कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग या अदालत में गवाही देना उनके या उनके परिवार के जीवन को खतरे में डाल सकता है। भारत का 2018 का साक्षी संरक्षण योजना साक्षी संरक्षण का कानून है। साक्षी की गरिमा की रक्षा के लिए, 2018 साक्षी संरक्षण योजना में न तो मलिमथ समिति की सिफारिशों को और न ही 198वें विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को शामिल किया गया है। आपराधिक न्यायालय प्रणाली तब तक यह आदेश देने में सक्षम नहीं है कि साक्षी स्वतंत्र और निष्पक्ष हो जब तक कि उचित समर्थन प्रदान नहीं किया जाता। 2018 की साक्षी संरक्षण योजना साक्षियों को उचित समर्थन देने में विफल रही।

हालांकि, 2018 में, अदालत में दोषसिद्धि की दर 50% थी, और 2019 में, अदालत में दोषसिद्धि की दर 50.4% थी। अंततः, 2020 में अदालत में दोषसिद्धि की दर 59.2% थी, जो पांच वर्षों में सबसे अधिक थी। इस प्रकार, हम यह मान सकते हैं कि साक्षी संरक्षण कार्यक्रम ने दोषसिद्धि की दर में वृद्धि में योगदान दिया।

कई खामियों के बावजूद, साक्षी संरक्षण योजना ने भारत के आपराधिक न्याय सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि इस रणनीति ने पूरी तरह से समस्या का समाधान नहीं किया है। भारत में न केवल एक मजबूत साक्षी संरक्षण कार्यक्रम की कमी है, बल्कि एक गैर-जिम्मेदार कार्यपालिका और विधायिका भी है, जिससे साक्षी संरक्षण कार्यक्रम न्यायपालिका द्वारा संचालित एक व्यक्ति का शो बन गया है। प्रतिपक्षीय प्रणाली में, अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे आरोपी की दोषसिद्धि साबित करनी होती है। इस मामले में, साक्षी तथ्यों पर प्रकाश डालकर और न्यायाधीश को सत्य को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्याय की रक्षा के लिए, साक्षियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष गवाही देने की अनुमति दी जानी चाहिए। परिणामस्वरूप, साक्षियों की सुरक्षा के लिए प्रणाली को मजबूत करना चाहिए ताकि कानून की आंखों और कानों की रक्षा की जा सके।

प्रभावी साक्षी संरक्षण कार्यक्रम संगठित अपराध समूहों के विघटन के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक आपराधिक न्याय रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। एक प्रभावी साक्षी संरक्षण कार्यक्रम बनाने के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं:

1. कानूनी और संस्थागत आँकलन,
2. विधायी सहायता,

3. न्यायिक अधिकारियों (जिसमें न्यायाधीश, अभियोजक, पुलिस और जेल अधिकारी शामिल हैं) को लक्षित कर जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम,
4. न्यायाधीशों, अभियोजकों, पुलिस और साक्षी संरक्षण अधिकारियों को प्रशिक्षण देना,
5. साक्षी संरक्षण इकाइयों की स्थापना में सहायता के लिए विशेष समर्थन और सलाह, जिसमें मानक संचालन प्रक्रियाएं विकसित करने, उपयुक्त संरचनाएं और स्टाफ व्यवस्था पर सलाह शामिल है,
6. साक्षियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. Shivaji Sahabrao Bobade v State of Maharashtra, (1973) 2 SCC793.
2. Mahender Chawla &Ors. v Union of India & Ors,2018 SCC SC 2678.
3. Girish Abhayankar and Asawari Abhayankar, Witness Protection In Criminal Trials In India (1st edn,Thomson Reuters 2018)13.
4. Dr. Abhishek Atrey,Law Of Witness (1st edn, Lawmann's 2020)174.
5. J. F. Stephen, Digest Of The Law Of Evidence (4th edn.Arkose Press 2010)220.
6. Fourth Report of the National Police Commission, 20180(India).
7. Basappa @ Basavaraj S/O Chandappa v The State Of Karnataka, CRA NO.200069/2017.
8. C.R.,A NO.200069/2017
9. ibid .
10. 1979 AIR 1848.
11. Sat Paul v Delhi Administration, AIR 1976 SC 294
12. Law Commission Of India's 198th Report On Witness Identity Protection And Witness Protection Programmes (August 2006) INDIA.
13. Law Commission of India , "Consultation Paper on Witness Protection Witness protection "7 (August, 2004).
14. AIR 2003 SC 886..
15. Law Commission of India," 154th Report
16. Prof.N.V. Paranjape, Criminology and Penology, 218(Central Law Publications)
17. Allahabad, 12th Edition, 2006)
18. Satya Prakash Sagar, Crime and Punishment in Mughal India
19. 47(Reliance Publishing House, Delhi, 1967

****